

न्यायालय का नाम :- उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर

केस सं. / 202.....

क्र. सं.	दिनांक आह्वान या कार्यवाही	आज्ञा विरुद्ध रूप से	विशेष विवरण
	18/7/24	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. अन्य राजकार्य में व्यस्त है। अतः पूर्व आदेशानुसार दिनांक 17/18/24 को पेश हो।	
	7/8/24	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. अन्य राजकार्य में व्यस्त है। अतः पूर्व आदेशानुसार दिनांक 20/9/24 को पेश हो।	
	2/9/24	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. अन्य राजकार्य में व्यस्त है। अतः पूर्व आदेशानुसार दिनांक 22/9/24 को पेश हो।	
	23/10/24	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. अन्य राजकार्य में व्यस्त है। अतः पूर्व आदेशानुसार दिनांक 23/10/24 को पेश हो।	
	18/10/24	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. अन्य राजकार्य में व्यस्त है। अतः पूर्व आदेशानुसार दिनांक 23/10/24 को पेश हो।	
	23.10.24	पत्रावली पेश हुई। अनुसार परिष्कृत उपस्थित। प्रकर के संबंधित मूल वाद अंतिम डिक्री किया जा चुका है। जिस से प्रार्थना पर अन्तर्गत धारा 212 R.T.A. अक्रियहीन हो गया है। अतः प्रार्थना पर अन्तर्गत धारा 212 R.T.A. अक्रियहीन होने से स्वार्थ किया जाता है। पत्रावली मैलल शुमार हीकर नंबर से प्रम हीकर शामिल अन्तर ही। उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर	